2.2

4086

संख्या– 6108 /।।।(2)/14–33(प्रा0आ0)/

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

डायरी नं० 92
फाईल नं० 118
दिनांक 6/1/2015

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 19 दिसम्बर,

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 24 कार्यों की प्रथम चरण प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि उत्तराखण्ड द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 24 का प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 150.30 किमी0 + 09 सेतु सहित तथा लागत ₹ 1670.59 लाख टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ **1663.79 लाख** (₹ सोलह करोड़ त्रिसठ लाख उन्नासी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में संलग्नक के सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 24 कार्यो हेतु ₹ **2.40 लाख** (₹ दो चालीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/।।।(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्था विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमा अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय क किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–सम निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देश भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्ब यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–06–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण–24 वृहत कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2015 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(xiii) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या 22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800 अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(xiv) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 582/XXVII/(2)/2014 दि0:–17 दिसम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या: / I I(2)/14–33(प्रा0आ0)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

पृष्ठांकन पत्र सं०:-1581/20 यात०का०/2014 दि० 25/12/2014

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लो० निर्माण विभाग देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा

(2) अधीक्षण अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/आठवां/बारहवां/सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/नैनीताल/नई टिहरी/पौड़ी/हरिद्वार/बागेश्वर।

3- बजट/प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून।

25/12/14

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून
25/12/14

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

पत्रावली/प्राप्त
30/12/14

4745
दि० 30/12/14

शासनादेश संख्याः— 6108/III(2)/14—33(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

| कार्य का नाम | लम्बाई किमी0 में | टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत | चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर के अन्तर्गत इमलीखेड़ा में भगवानपुर मैन रोड़ से सौर-ऊर्जा की फैक्ट्री तक पी0सी0 द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। | 3.30 | 15.77 (₹ 6.27 लाख + ₹ 9.50 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.10 |
| जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत घुड़दौड़ी—देवप्रयाग मार्ग पर बालगणा गांव से दालमी को जाने वाले मार्ग का नव निर्माण कार्य। | 2.50 | 23.18 (₹ 14.63 लाख + ₹ 8.55 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.10 |
| जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में वल्मरा स्याल्दे केदार मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में 30 मी0 स्पान व कि0मी0 15 में 105 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य। | 30 mt. + 105 mt. | 12.60 | 0.10 |
| जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत कियासैंण मानिला डोटियाल मोटर मार्ग पर कियासैंण के समीप रामगंगा नदी पर 84 मी0 विस्तार की (1.5 लेन क्लास "ए" लोडिंग) स्टील ट्रस (गर्डर) मोटर सेतु का निर्माण कार्य। | 84 mt. | 8.40 | 0.10 |
| जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के विकास खण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत खल्डुवा के समीप मशानगढ़ी नदी पर 70मी0 विस्तार के पैदल झूला पुल का निर्माण कार्य। | 70 mt. | 2.80 | 0.10 |
| जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के विकास खण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत मटेला गांव के समीप खतरौन नदी पर 36 मी0 स्पान के स्टील गर्डर पैदल सेतु का निर्माण कार्य। | 36 mt. | 1.44 | 0.10 |
| मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0:— 306/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र—देवप्रयाग में देवप्रयाग हिण्डोलाखाल रौड़धार टिहरी प्रमुख जिला मार्ग के किमी0 40 से 65 एवं देवप्रयाग हिण्डोलाखाल चन्द्रबदनी मोटर मार्ग के किमी0 1 से 7 का डेढ़ लेन में परिवर्तन। | 33.00 | 82.50 (₹ 7.59 लाख + ₹ 74.91 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.10 |
| मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0:— 429/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र—सल्ट में [illegible]खेत—गुदलेख—मुसमोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। | 19.00 | 270.75 (₹ 111.15 लाख + ₹ 159.60 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.10 |
| मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0:— 436/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र—सल्ट में [illegible]खाल— तनश लीसैंण—कालिकाखाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। | 16.00 | 228.00 (₹ 93.60 लाख + ₹ 134.40 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.10 |
| मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0:— 437/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र—सल्ट में [illegible]गांव—गढ़कोट—भीतकोट—गुलार—कटपतिया मोटर मार्ग का पुल सहित निर्माण कार्य। | 11.00 | 156.75 (₹ 64.35 लाख + ₹ 92.40 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.10 |

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

शासनादेश संख्या:– 6108/III(2)/14–33(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 का संल

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0:– 438/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–सल्ट में पथौड़िया–ढणास – उनियाल गांव–तल्ली अजोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। | 7.500 | 106.88 (₹ 43.88 लाख +₹ 63.00 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.1 |
| 12 | मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0:–439/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–सल्ट में तड़म– बौरडा–घुघुतीधार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। | 14.00 | 199.50 (₹ 81.90 लाख + ₹ 117.60 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.1 |
| 13 | मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0:– 440/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–सल्ट में पालपुर–सुनोनी– चौना–सौगड–जौरासी मोटर मार्ग का पुल सहित निर्माण कार्य। | 10.00 + 72 mtr. | 156.70 (₹ 65.70 लाख + ₹ 91.00 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.1 |
| 14 | मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0:– 441/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–सल्ट में मझेड़ा–कुमारती – सौरे–नौरड़ मोटर मार्ग का निर्माण। | 5.00 | 43.31 (₹ 29.25 लाख + ₹ 14.06 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.1 |
| 15 | मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–453/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आरे से सरयू नदी में झिरौली (धिरौली) गांव को जोड़ने हेतु झूला पुल का निर्माण। | 72 mt | 7.42 (₹ 4.22 लाख + ₹ 3.20 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.1 |
| 16 | मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–447/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत खरेही क्षेत्र में स्यारीचौरा से सिमस्यारी सरना होते हुए दमोला तक 3.00 कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण | 3.00 | 56.97 (₹ 17.55 लाख + ₹ 39.42 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.1 |
| 17 | मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–446/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत खरेही क्षेत्र में मनियाछीना से भाटगाड़ होते हुए पगना तक 4.00 कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। | 4.00 | 68.04 (₹ 23.40 लाख + ₹ 44.64 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.1 |
| 18 | मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–445/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत खरेही क्षेत्र में बेहरगांव से बक्सरझूना खोला तक 03 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) | 3.00 | 51.03 (₹ 17.55 लाख + ₹ 33.48 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.1 |
| 19 | मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–444/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर–पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली खरेही क्षेत्र के सप्तेश्वर सरयू नदी में मोटर पुल का निर्माण | 72 mt | 8.90 (₹ 7.78 लाख + ₹ 1.12 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.1 |
| 20 | मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–443/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत खरेही क्षेत्र में पगना से सतेश्वर तक 03 कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। | 3.00 | 51.03 (₹ 17.55 लाख + ₹ 33.48 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.1 |
| 21 | मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–452/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत भयू गुलेर मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मण गिरी के गांव तक 8.00 कि.मी. मोटर मार्ग का कार्य। | 8.00 | 90.00 (₹ 46.80 लाख + ₹ 43.20 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.1 |

छायाप्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

शासनादेश संख्या:– 6109/III(2)/14–33(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 का संलग्नक

| | | | |
|---|---|---|---|
| मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–454/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पल्सों से चौरा गांव के लिएपुंगर नदी पर 70 मी. स्पान झूला पुल का निर्माण। | 70 mt. | 3.42 ( ₹ 3.21 लाख + ₹ 0.21 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य) | 0.10 |
| मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–450/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दोफाड़ से पपौ रताइस मोटर मार्ग में डामरीकरण का कार्य। | 5.00 | 0.85 | 0.10 |
| जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र–भीमताल में [illegible]कूना से सुरालगांव तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य। | 3.00 | 17.55 | 0.10 |
| योग:– | 150.30 + 09 Brg | 1663.79 | 2.40 |

( कुल ₹ दो लाख चालीस हजार मात्र )

( ए0एस0 पांगती )
उप सचिव

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता,
अष्टम वृत्त, लोक निर्माण विभाग
अल्मोड़ा

पत्रांक 4745/199 नि.-1/14 दि. 31.12.2014

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि. रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि इस कार्यालय के प्राविधिक वर्ग हेतु।

प्रतिलिपि इस कार्यालय के लेखा वर्ग एवं [illegible] हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता,
अष्टम वृत्त, लोक निर्माण विभाग
अल्मोड़ा
31/12/14

AO-92/IAC dt 8/1/2015

प्रतिलिपि उपरोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– खण्डीय लेखाधिकारी / खण्डीय कोषिय
2– JE(C) / वरि. सहायक
3– गार्ड फाइल हेतु

[illegible]

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत